(217)

पृ.क्रं.-

अगला

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 5/16/81/10-3 भोपाल,दिनांक: 27 अगस्त, 2008

प्रति,

1. समस्त जिलाध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी,
   मध्यप्रदेश

विषय: वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण बाबत।

उपरोक्त विषय में वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण रखने के उददेश्य से राज्य शासन, वन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 7.10.02 के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी वन क्षेत्र की सीमा से बाहर तथा 250 मीटर की दूरी तक स्थित क्षेत्रों में खदान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे। यदि प्रस्तावित खदान क्षेत्र वन क्षेत्र में नही होते हुए भी वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर के अंदर स्थित है तो जिलाध्यक्ष खनिज के महत्व एवं उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए यदि उत्खनन पटटा दिया जाना आवश्यक महसूस करें तो अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति इस विषय पर विचार कर अपनी अनुशंसा करेगी। इस आदेश को राज्य शासन, वन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 29.5.08 के द्वारा संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि वन क्षेत्र से बाहर तथा वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर के अंदर खनि पटटा देने हेतु विचार करने के लिए गठित समिति द्वारा आगामी आदेश तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

2. राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रकरणों में अत्यधिक कठिनाईयां आ रही है। अतः राज्य शासन के द्वारा यह निर्णय लिया है कि वन क्षेत्र से बाहर लेकिन वन क्षेत्र से 250 मीटर के अंदर यदि खनिज के महत्व एवं उपलब्धता को देखते हुए खनि पटटा स्वीकृत करने के संबंध में विचार किया जाना है तो इस संबंध में अनुशंसा करने के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:

क. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग– अध्यक्ष
ख. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग – सदस्य
ग. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग –सदस्य

सचिव, खनिज साधन विभाग इस समिति के संयोजक रहेंगे।

शेष अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

(रतन पुरवार)
सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 5/16/81/10-3 भोपाल,दिनांक 27 अगस्त, 2008

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) म.प्र. भोपाल

4583
15/9/08

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध/संरक्षण
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग